न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

ीन अधिकारी:– श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
ण संख्या:–132 / 2023

तारीख दायर:–18.12.2023
तारीख निर्णय:–15.04.2025

1. श्री सेवालाल पुत्र वखा बोडात भील निवासी पीथापुर तहसील बिछीवाडा जिला डुंगरपुर।

.........प्रार्थी

बनाम

1. श्री लछमा पुत्र वाघा भील निवासी आडा हल्दु तहसील फलासिया।
2. श्रीमती मीरकी पत्नी हाकला भील निवासी आडा हल्दु तहसील फलासिया।
3. श्री नारायण पुत्र थावरा भील निवासी आडा हल्दु तहसील फलासिया।

..............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

स्थित– प्रार्थीगण की ओर से– श्री प्रवीण कुमार मेहता

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा आडा हल्दु पटवार त्र धरावण तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 104 रकबा 0.3300, 110 रकबा 0.4700, 161/110 कबा 1.0300 किता 03 कुल रकबा 1.8300 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त रता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि थत है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर खलंदाजी करते है व घास लकडी इत्यादि को ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास ने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत् विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन न प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का ाई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। त: निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा आडा ल्दु पटवार क्षेत्र धरावण तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 104 रकबा 0.3300, 110 रकबा 0. 700, 161/110 रकबा 1.0300 किता 03 कुल रकबा 1.8300 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर ौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय कल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित हने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक रफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

ते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी जाने में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार या जाता है एवं मौजा आडा हल्दु पटवार क्षेत्र धरावण तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 104 बा 0.3300, 110 रकबा 0.4700, 161/110 रकबा 1.0300 किता 03 कुल रकबा 1.8300 है0 भूमि मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नही होने की स्थिति में दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार झाडोल को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 00/- रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार झाडोल को तहरीर जारी की जावें। ावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गा।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर